

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सचिवदानन्द चौधरी,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक,  
नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल,  
पटना।

पटना, दिनांक-19 /03 /2018

विषय:- नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना को विपत्र कोड-20-2210011100004 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में वेतन एवं भत्ते तथा अन्य मदों में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त कुल रू० 8,20,00,000/- (रुपये आठ करोड़ बीस लाख) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना के पत्रांक-421, दिनांक-01.02.2018 के आलोक में नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना को विपत्र कोड-20-2210011100004 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में संलग्न विवरणी के अनुसार वेतन एवं भत्ते तथा अन्य मदों में कुल रू० 8,20,00,000/- (रुपये आठ करोड़ बीस लाख) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561/वि०(2), दि०-17.04.98, 2880/वि०(2), दि०-06.05.06, 96/वि०(2), दि०-09.01.08 सह-पठित संकल्प सं० 2190/वि०(2) दि०-17.03.08, 2938/वि०(2), दि०-08.04.08 एवं 3388/वि०(2), दि०-18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अधीक्षक, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0004-नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, विपत्र कोड-20-2210011100004 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जायेगा।


5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

क्रमशः

← 19/3/18

6. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।
7. यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्तों के तहत किया जाएगा।
8. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लें कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।
9. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जाएगी।
10. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।
11. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

  
19/3/18


(सच्चिदानन्द चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-1/ना०अ०-04/2017-110(1) /स्वा0, पटना, दिनांक-19/03/2018  
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा० मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
19/3/18

सरकार के विशेष सचिव

नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना, विपत्र कोड-20-2210011100004 को वित्तीय वर्ष 2017-18 में राशि का अतिरिक्त आवंटन

विषय शीर्ष	बजट उपबंध	तृतीय अनुपुरक आगपन से प्राप्त उपबंध	अद्यतन बजट उपबंध	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
0004.01.01 वेतन	230000000	380000000	268000000	230000000	380000000	268000000	0
0004.01.03 जीवन यापन भत्ता	280000000	80000000	288000000	280000000	80000000	288000000	0
0004.01.04 मकान किराया भत्ता	300000000	100000000	400000000	300000000	100000000	400000000	0
0004.01.05 परिवहन भत्ता	50000000	20000000	70000000	50000000	20000000	70000000	0
0004.01.06 चिकित्सा भत्ता	11000000	10000000	21000000	11000000	10000000	21000000	0
0004.01.07 अन्य भत्ता	39000000	10000000	49000000	39000000	10000000	49000000	0
योग- वेतन एवं भत्ते	550000000	600000000	610000000	550000000	600000000	610000000	0
0004.13.04 विद्युत प्रभार	25000000	50000000	30000000	25000000	50000000	30000000	0
0004.28.02 सविदा सेवायें	137528000	150000000	152528000	137528000	150000000	152528000	0
0004.34.01 छात्रवृत्ति/वजीफा	14400000	20000000	16400000	14400000	20000000	16400000	0
कुल योग :-	726928000	820000000	808928000	726928000	820000000	808928000	0

(रुपये आठ करोड़ बीस लाख)

110(1)का  
19-03-2018

सरकार के विशेष सचिव

19/3/18